निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

दिनांक 25.03.2021

...ण संख्या – 38 / 2021

अनवान

...पू बाई पत्नि दौलतराम माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... वादीया

।। बनाम ।।

1. उदयलाल पुत्र नन्दलाल माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
2. कन्हैयालाल पुत्र कमलेश माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
3. गणेश पुत्र दयाराम माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
4. गुलाबी पत्नि दौला माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
5. गीता बाई पुत्री दौला माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
6. जगदीश पुत्र भगवाना माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
7. धापूबाई पतिन नंदलाल माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
8. प्रभुलाल पुत्र दौला माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
9. पारस पुत्र नन्दलाल माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
10. भेरूबाई पुत्री भगवाना माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
11. भानीबाई पत्नि भगवाना माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
12. मनीष पुत्र नन्दलाल माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
13. रतनबाई पुत्र दौला माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
14. राजु पुत्र भगवाना माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
15. राधेश्याम पुत्र नन्दलाल माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
16. संतोषबाई पत्नि कमलेश माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
17. गंगादेवी पत्नि चतरभुज माली वयस्क, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर
18. उप पंजियक पंजियन कार्यालय भदेसर
19. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया वकील वादीया

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Scanned by TapScanner

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने राजस्थान तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 188, के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया के :-

1. यह कि वादीया के पति श्री दौलतराम पिता उंकार माली निवासी भदेसर की पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद शुदा वादीया के कब्जे काश्त की आराजीयात जो कि वाके मौजा भदेसर पटवार हल्का भदेसर की खाता संख्या 247 की आराजी नमबर 536 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 540 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 652 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 657 रकबा 0.0900 हैक्टैयर स्थित है।

इसी प्रकार वाके मौजा भदेसर की खाता संख्या 349 की आराजी नम्बर 539 रकबा 0.0900 हैक्टेयर स्थित हे ताईद में नकल जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है।

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में दर्णित आराजी के पूर्व साबिक आराजी नम्बर 538 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 539 व 540 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर है। साबिक आराजी नं. 538 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा को दौला, गणेश पिता दयाराम जी माली निवासी भदेसर से उनका दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्सा जिसके पडोस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में वासु माली आराजी, उत्तर में वासु माली की आराजी एवं दक्षिण में दौला पिता कालु, भगवाना, गणेश पिता दयाराम जी माली निवासी भदेसर आराजी के मध्य की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/01/1981 से विक्रेतागण को उसका सम्पूर्ण विक्रय धन 2500/ रुपये सिके चलन के अदा कर वादीया के पति दौलतराम जी पिता उकारजी माली ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तभी से वादीया के पति दौलतराम का वादग्रस्त आराजीयात पर चला आ रहा है, तथा दौलतराम जी के देहान्त के बाद से वादीया का कब्जा चला आ रहा है।

3. यह कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात दौला पिता कालू, भगवाना, गणेश पिता दयाराम जी माली निवासी भदेसर के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी तथा वादीया के पति दौलतराम जी द्वारा नामांतरणकरण नहीं खुलने के कारण वादीया के पति दौलतराम जी के नाम पर नामांतरणकरण दर्ज नहीं हुआ जबकि विरासत से प्रतिवादीगणों के नाम पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

नामांतरकरण खोल दिया गया, जबकि उक्त पुराने आराजी नं. 538, जिसके नये आराजी नं. 539 व 540 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर में से दौला पिता कालु, भगवाना, गणेश पिता दयाराम जी माली निवासी भदेसर ने उनका दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/01/1981 से वादीया के पति को विक्रय कर देने से वादग्रस्त आराजीयात वादीया के पति की खरीद शुदा आराजी हैं, जिस पर वादीया अपने पति के समय से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। इसलिए वादीया पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई जिसको वादीया उक्त आराजीयात में अपना 1/6 हक हिस्सा घोषित करा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने की अधिकारीगण हैं।

4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीया के पति दौलतराम जी के समय से यानि वक्त खरीद से वादीया लगातार बिना किसी बाधा के निर्विवाद रुप से शांतिपूर्ण तरिके से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं वादीया ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त नये आराजी नं. 539 व 540 कुल रकबा 0.2800हैक्टैयर में से 1/6 हक हिस्से की भूमि वादीया के नाम घोषित करा राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम अमल दरामद कराने की अधिकारीणी है । इसी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार उक्त आराजीयात का बंटवारा मौके पर काबिज अनुसार बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस कराने की अधिकारीणी है ।

5. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का नये आराजी नमबर 539 , 540 कुल रकबा 0.2800 हैक्टैयर में से 1/6 हक हिस्से की घोषणा कर बंटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम मौके पर कब्जे अनुसार दर्ज करा प्रतिवादीगणों का नाम विलोपित कराने की कहा तो प्रतिवादीगण घोषणा करा बंटवाडा कराने से इंकार हो गये वादीया व मौतबीरान के समझााने बुझाने पर नहीं मान रहें है और वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के ाम विरासत से दर्ज हो जाने से वादीया के पति की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद शुदा वादीया के पति की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद शुदा वादीया के कब्जे शुदा आराजीयात को बिना बंटवाडा हुवे ही भू माफिया से मिलकर वादीया की हक हिस्से व कब्जे शुदा आराजीयात को रहन विक्रय करने पर आमादा हो रहें है व अन्य लोगों के सिखावें में आकर वादीया की क्रय शुदा कब्जे काश्त व

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

उपयोग उपभोग की आराजीयात को रहन बय बख्शीस के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए वादीया प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारीणी हे कि वे वादीया के हक हिस्से कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें न करावें ना ही वादीया को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने की कोशिश करें न करावें तथा ना ही वादीया की क्रय शुदा व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें न करावें ना ही वादीया को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने की कोशिश करें न करावें तथा ना ही वादीया की क्रय शुदा व कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की भूमि को रहन बय बख्शीस के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कोशिश करें न करावें ।

6. यह कि अभी दिनांक 20.01.2021 को जब वादीया ने प्रतिवादीगणों को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादीया के पति की खरीद शुदा वादग्रस्त नये आराजी नम्बर 539, 540 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर मे से 1/6 हक हिस्से आराजीयात की घोषणा वादीया के नाम करा बंटवारा मोके पर कब्जे अनुसार कराने की कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये से हर रोज पैदा होकर वाद अन्दर अवधि पेश है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीया को नये आराजी नमबर 539, 540 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर मे से 1/6 हिस्से भूमि के खातेदार घोषित फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में वादोत्तर पेश होने से तनकी कायम नहीं की गई । वाद के समर्थन में वादीया की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. पंजीकृत दस्तावेज 09/01/1981 प्रदर्श–1 एवं फोटो प्रति प्रदर्श–ए–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 247 संवत् 2076 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 349 संवत् 2076 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 88 संवत् 2076 प्रदर्श–4
5. नक्शा ट्रेस
6. मिलान खेवट प्रदर्श–2

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

7. फोटो प्रति साबिक जमाबन्दी

8. मृत्यु प्रमाण पत्र दौला

9. आधार कार्ड धापूबाई 930067021063

10 शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री आकाश पिता नाथू माली नि0भदेसर

11 शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री धापूबाई पत्नि दौलतराम माली नि0 भदेसर

12 शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 श्री नाथूलाल पिता दौलतराम माली नि0भदेसर

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों एवं स्वतन्त्र गवाहों से वाद के तथ्यों को बखूबी साबित कराया है कि विवादित आराजीयात के तत्कालीन मूल खातेदार दौला पिता कालू , भगवाना गमेरा पिता दयाराम माली वगैर द्वारा उनकी खातेदारी में दर्ज मौजा भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 538 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा में 1/6 हक हिस्सा वादीया के पति दौलतराम पिता उंकार माली को 2500/– रूप्ये में पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 22/01/1981 विकीत किया जाना प्रमाणित है । जिसका नामान्तरकरण तत्कालीन क्रेता दौलतराम पिता उंकार माली के नाम पर नहीं खुला तथा विक्रेतागण की मृत्यु हो जाने उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर भूमि दर्ज हो गई कालान्तर में भूप्रबन्ध हो जाने से उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर कायम हो चुके है जो मिलान क्षेत्रफल से आराजी नम्बर 539, 540 होना प्रमाणित कराया है । क्रेता दौलतराम की मृत्यु हो चुकी है उसकी वारिस वादिया होकर मौके पर वादिया का ही कब्जा होना स्वतन्त्र गवाहों से प्रमाणित कराया है यदि क्रेता दौलतराम के नाम पर भूमि दर्ज हो चुकी होती तो उनकी विरासत स्वतः ही वादीया धापू बाई के नाम पर आ जाती किन्तु राजस्व रिकार्ड की वर्तमान उत्पन्न हो जाने वादीय अपने हक अधिकारों से वंचित चल रहे है । प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से भी वाद के तथ्यों को बल मिलता है । अतः वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीया डिक्री किया जाता है कि मौजा भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 538 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा में 1/6 हक हिस्सा (भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नमबर 540 रकबा 0.1900 हैक्टेयर एवं 539 रकबा 0.0900 हैक्टेयर)वादीया के पति दौलतराम पिता उंकार माली द्वारा पंजिकृत

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

दस्तावेज दिनांक 22/01/1981 के आधार पर केता दौलतराम के वारीस वादीया को 1/6 1/2 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रेकार्ड से उक्त सीमा तक विकेता के वारिसान प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीया को भूमि के खातेदार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तक भूमि को खूर्द बूर्द रहन बय बखशीश नहीं करें। न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें। चूंकि पंजिकृत दस्तावेज 08 वर्ष से अधिक पुराना होने से पंजियन एवं मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आलौच्य पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.05.1989 पर नियमानुसार पेनाल्टी/सरचार्ज राजकोष में जमा कराने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner